संख्या- 03/2025/I/1171530/2025/11-4099/64/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2025-2026/510/राज्य कर, दिनांक 07.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में संभावित बचत से लेखाशीर्षक 2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 690.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल रू0 450.00 लाख **(रु0 चार करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति **(संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसा**र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)

	अनुदान संख्या	**लेखाशीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	02 मजदूरी	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	08 कार्यालय व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
3	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**4,50,00,000** **(रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)**
महायोग				4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-1976599-a

विषय:- पुनर्विनियोग के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	01 (वेतन)	5,95,10,00,000 रुपये पाँच अरब पंचानबे करोड़ दस लाख मात्र	13,40,00,000 रुपये तेरह करोड़ चालीस लाख मात्र	6,90,00,000 रुपये छह करोड़ नब्बे लाख मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	5,90,60,00,000 रुपये पाँच अरब नब्बे करोड़ साठ लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 6,90,00,000	₹ 4,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय)	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	0 शून्य	22,00,000 रुपये बाईस लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	0 शून्य	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 6,90,00,000	₹ 4,50,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	0 शून्य	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	2025-2026
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	08 (कार्यालय व्यय)	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2025-2026
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	04 (यात्रा व्यय)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	0 शून्य	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)	02 (मजदूरी)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 6,90,00,000	₹ 4,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

मद संख्या-02-मजदूरी

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 300-00 लाख (रूपया तीन करोड मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 62 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है, होमगार्डो एवं पी०आर०डी० जवानों एवं मजूदरी हेतु खण्ड कार्यालयों से प्राप्त मॉग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रु० 100-00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) की मॉग की जा रही है।

मद संख्या-04-यात्रा व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु० 150-00 लाख (रूपया एक करोड पचास लाख मात्र) का प्राविधान किया गया था। प्रदेश के पत्र वाहकों के यात्रा देयको के भुगतान एवं समय-समय पर आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आने वाले अधिकारियों के यात्रा देयकों के भुगतान हेतु खण्ड कार्यालयों से प्राप्त मॉग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रू0 30-00 लाख (रुपया तीस लाख मात्र) की माँग की जा रही है।

मद संख्या-08-कार्यालय व्यय

प्रश्नगत्त मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु० 850-00 लाख (रूपया आठ करोड पचास लाख मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है, खण्ड कार्यालयों से प्राप्त माँग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रु० 150-00 लाख (रूपया एक करोड पचास लाख मात्र) की माँग की जा रही है।

मद संख्या-11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई पर व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-25 हेतु रू0 500-00 लाख (रूपया पाच करोड़ मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में खण्ड कार्यालयों से प्राप्त माँग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रू0 150-00 लाख (रूपया एक करोड पचास लाख मात्र) की मॉग की जा रही है।

मद संख्या-15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु० 1500-00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है, खण्ड कार्यालयों से प्राप्त मॉग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रू0 200-00 लाख (रूपया दो करोड मात्र) की माँग की जा रही है।

मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रू0 550-00 लाख (रुपया पांच करोड पचास लाख मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है, खण्ड कार्यालयों से प्राप्त मॉग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रू0 50-00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की माँग की जा रही है।

मद संख्या-19-विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु० 12-00 लाख (रूपया बारह लाख मात्र) का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष उक्त मद में लगभग 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है, खण्ड कार्यालयों से प्राप्त माँग एवं आगामी व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में रू0 10-00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) की माँग की जा रही है।

संख्या:RE-budget-1-167-E-9-152-X-2025-26-दिनांक: 09-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

रघुवीर प्रसाद

संयुक्त सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रघुवीर प्रसाद
संयुक्त सचिव।